समाहरणालय,मुंगेर।
(जिला विकास शाखा)
आदेश।

सरकार के विशेष सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 206061 (आवं0)ग्रा0वि0, दिनांक 21.10.2014 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 में संविदा के आधार पर इस जिले में नियोजित प्रखण्ड पशुपालन पदाधिकारी की संख्या 03 (तीन) के अनुसार कुल मो0 8,10,000.00 (आठ लाख दस हजार) रूपये मात्र का आवंटन प्राप्त हुआ है।जिसे निम्नवत उपावंटित किया जाता है :–

क्र0	प्रखंड का नाम	संविदा पर नियोजित प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी की सं0	उपावंटित राशि		कुल उपावंटित राशि	अभ्युक्ति
			पूर्व में	वर्त्तमान में		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	सदर,मुंगेर	01	—	270000	270000	
2.	धरहरा	01	207321	270000	477321	
3.	संग्रामपुर	01	—	270000	270000	
	कुलः–	03	207321	810000	1017321	

(कुल मो0 दस लाख सतरह हजार इक्कीस)रूपये मात्र।

इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 219 अनु0 जि0वि0,दिनांक 24.07.14 द्वारा पूर्व में उपावंटित राशि मो0 207321.00
वर्त्तमान में उपावंटित राशि मो0 810000.00
कुल राशिः– मो0 1017321.00

(1.) वित्त विभाग के पत्रांक 687 (वि.)दिनांक 24.07.2014 एवं 6720 (वि.)दिनांक 25.07.14 के आलोक में विषयांकित गैर योजना बजट शीर्ष 2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–102–सामुदायिक विकास–0001–प्रखंड स्थापना (विपत्र कोड एन–2515001020001 एवं मांग संख्या–42) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिये "28–01 व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएं" विषय शीर्ष(इकाई) में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

(2.) उपावंटित राशि का व्यय गैर योजना बजट शीर्ष 2515–अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम–102–सामुदायिक विकास–0001–प्रखंड स्थापना (विपत्र कोड एन–2515001020001 एवं मांग संख्या–42) के अन्तर्गत "28–01 व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएं" विषय शीर्ष(इकाई) में वित्तीय वर्ष 2014–15 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

(3.) वित्त विभाग के पत्रांक 310 दिनांक 28.03.14 के आलोक में यह भी स्पष्ट है कि वर्ष 2013–14 में किये गये कार्यों तथा ली गई आपूर्त्तियाँ एवं बकाया वेतनादि के भुगतान को प्राथमिकता दी जाय। आवंटन निर्गत किये जाने के समय वित्त विभाग के परिपत्र सं0 2561 दिनांक 17.04.1998 की कंडिका–2 में उल्लिखित प्रावधान का अनुपालन अपेक्षित होगा।

(4.) उपावंटित राशि का व्यय सिर्फ संविदा के आधार पर नियोजित प्रखंड पशुपालन पदाधिकारियों को पारिश्रमिक का भुगतान किया जाना है। उपावंटित राशि से अधिक या गलत निकासी की सारी जबाबदेही संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

(5.) इस शीर्ष का प्रखंड स्तर पर व्यय,विवरणी टी0 भी0 नं0 एवं तिथि सहित अनिवार्य रूप से महालेखाकार,बिहार,वीरचनद्र पटेल पथ,पटना एवं वित्त विभागीय(बजट शाखा) एवं ग्रामीण विकास विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध कराते हुए उसकी एक प्रति अधोहस्ताक्षरी को भेजना सुनिश्चित करें,ताकि जिला स्तर समेकित प्रतिवेदन विभाग को भेजा जा सके।

(6.) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि वे कोषागार में उपस्थापित किये जाने वाले सभी विपत्रों पर विपत्र कोड एन.–2515001020001 एवं मांग संख्या–42/मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष (प्राथमिक) एवं कूट संख्या की मुहर अवश्य लगावें।

अनुलग्नकः– आवंटन की 02 (दो) पन्ने।

विश्वासभाजन

ह0/–
जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

E:\SUMIT WORK\Bada Babu-28-10-14 A.doc

ज्ञापांक .... / वि0,जि0,दिनांक....................... /

प्रतिलिपि – अनुलग्नक की प्रति के साथ प्रखण्ड विकास पदाधिकारी,सदर / धरहरा एवं संग्रामपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांक 316 / दिनांक 13.11.14 /

प्रतिलिपि – अनुलग्नक की प्रति के साथ कोषागार पदाधिकारी, मुंगेर / जिला पशुपालन पदाधिकारी,मुंगेर / सभी अनुमंडल पदाधिकारी (मुंगेर जिला) एवं जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13.11.14
जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक:- 206061 (अनु) ग्रा०वि०, पटना, दिनांक:- 21.12.15

ग्रा०वि० - 10/बजट- 130/2014

प्रेषक,

प्रमोद कुमार बिहारी

[illegible]

सेवा में,

जिला पदाधिकारी / उप विकास आयुक्त,

(खगड़िया, मुजफ्फरपुर, वैशाली, जमुई, पश्चिम चम्पारण, सुपौल, औरंगाबाद एवं मुंगेर) ।

विषय:- **गैर योजना बजट शीर्ष- 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-102-सामुदायिक विकास- 0001 प्रखंड स्थापना (विपत्र कोड- एन. 2515001020001 एवं मांग संख्या- 42) के अंतर्गत (28 01) व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएं विषय शीर्ष (इकाई) में वित्तीय वर्ष 2014-15 में उपबंधित राशि से अतिरिक्त निधि का आवंटन ।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार विधान मंडल द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2014 पारित होने एवं महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 23.07.2014 को स्वीकृति प्रदान कर देने तदोपरान्त विधि विभाग द्वारा बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम 2014 (बिहार अधिनियम 9, 2014) को अधिसूचित कर देने के फलस्वरूप वित्त विभागीय पत्रांक 687 (वि.) दिनांक 24.07.2014 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2014-15 के अंतर्गत दिनांक 31.03.2015 तक की अवधि के लिए कुल उपबंधित राशि को नियमानुसार व्यय करने की अनुमति प्रदान कर दी गई है ।

उक्त वित्त विभागीय पत्रांक 687 (वि.) दिनांक 24.07.2014 एवं पत्रांक 6720 (वि.) दिनांक 25.07.14 के आलोक में विषयांकित बजट शीर्ष 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-102-सामुदायिक विकास-0001 प्रखंड स्थापना (विपत्र कोड- एन.2515001020001 एवं मांग संख्या- 42) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में उपबंधित राशि में से कुल 96,95,791/- (छियानवें लाख पंचानवें हजार सात सौ एकानवें) रूपये मात्र का आवंटन संलग्न विवरणी-1 के अनुसार स्थापना मद की (28 01) व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएं विषय शीर्ष (इकाई) में अधियाचना के आधार पर जिलावार स्वीकृत किया जाता है ।

2) आवंटित राशि का व्यय गैर योजना बजट शीर्ष 2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम-102-सामुदायिक विकास-0001 प्रखंड स्थापना (विपत्र कोड- एन.2515001020001 एवं मांग संख्या- 42) के अंतर्गत "28-01 व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएं" विषय शीर्ष (इकाई) में वित्तीय वर्ष 2014-15 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा ।

3) वित्त विभाग के पत्रांक 310 दिनांक 28.03.14 के आलोक में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि वर्ष 2013-14 में किये गये कार्यो तथा ली गई आपूर्तियां एवं बकाया वेतनादि के भुगतान को प्राथमिकता दी जाय । आवंटन निर्गत किये जाने के समय वित्त विभाग के परिपत्र संख्या- 2561 दिनांक 17.04.1998 की कंडिका -2 में उल्लिखित प्रावधान का अनुपालन अपेक्षित होगा ।

4) आवंटित राशि का व्यय सिर्फ संविदा के आधार पर नियोजित प्रखंड पशुपालन पदाधिकारियों के पारिश्रमिकी का भुगतान विवरणी-1 के अनुसार किया जाना है । आवंटित राशि से अधिक या गलत निकासी की सारी जवाबदेही संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी ।

5) विभागीय पत्रांक 188677 दिनांक 18.06.14 के द्वारा सभी उप विकास आयुक्तों से संविदा पर नियोजित प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी के पारिश्रमिकी के भुगतान के संबंध में आवंटन की अधियाचना भेजने के लिए निदेश दिया गया है । किन्तु कतिपय जिला एवं प्रखंडों को छोड़कर अधिकांश जिलों एवं प्रखंडों से अधियाचना अप्राप्त है ।

6) पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के द्वारा निर्गत अवधि-विस्तार आदेश ज्ञापांक 975 दिनांक 24.03.14 के क्रम में प्रखंड विकास कार्यालयों में योगदान करने तथा एकरारनामा सम्पन्न होने आदि बिन्दुओं के

जांचोपरान्त ही प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा राशि की निकासी कर संविदा पर नियोजित प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी का पारिश्रमिकी भुगतान किया जायेगा ।

7) विभागीय आवंटनादेश संख्या- 183357/आव. दिनांक 2_.__.14 द्वारा व्यवसायिक एवं विशेष सेवा (28 01) मद में कुल उपबंधित राशि का 10% जिलों को आवंटित किया जा चुका है । अपेक्षा की गई थी कि संविदा पर नियोजित प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी / अन्य सेवा निवृत्त संविदा पर नियोजित कर्मियों के पारिश्रमिकी का भुगतान किया जायेगा एवं आवश्यकतानुसार राशि की अधियाचना जिलों से प्राप्त होगी । किन्तु अधिकांश जिलों से अधियाचनायें अप्राप्त है ।

8) व्यय की स्थिति भी प्रत्येक माह के 10 तारीख तक allotmentrdd@gmail.com पर ही प्रतिवेदित किया जाय ।

9) इस शीर्ष का जिला स्तर पर समेकित व्यय विवरणी, टी.भी.नंबर एवं तिथि सहित प्रत्येक अगले माह की 10 तारीख तक अनिवार्य रूप से महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना / वित्त विभागीय (बजट शाखा) एवं ग्रामीण विकास विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायी जाय ।

10) कृपया अपने स्तर से निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को निर्देश दिया जाय कि कोषागार में उपस्थापित किये जाने वाले विपत्रों पर विपत्र कोड- एन.-2515001020001 एवं मांग संख्या- 42/ मुख्य शीर्ष / लघु शीर्ष / विषय शीर्ष (प्राथमिक) इकाई एवं कूट संख्या की मुहर अवश्य लगायी जाय ।

कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय ।

विश्वासभाजन

(प्रमोद कुमार बिहारी)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक:- 206061 (आ०) ग्रा०वि०, पटना, दिनांक:- 21.10.14

प्रतिलिपि - महालेखाकार, बिहार, पटना, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक:- 206061 (आ०) ग्रा०वि०, पटना, दिनांक:- 21.10.14

प्रतिलिपि - सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी / सभी संबंधित उप कोषागार पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक:- 206061 (आ०) ग्रा०वि०, पटना, दिनांक:- 21.10.14

प्रतिलिपि - सरकार के अवर सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग (पशुपालन) बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक:- 206061 (आ०) ग्रा०वि०, पटना, दिनांक:- 21.10.14

प्रतिलिपि - वित्त विभाग (बजट शाखा) / सभी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार / सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग / विशेष सचिव / उप सचिव, ग्रामीण विकास विभाग / कार्यवाह सहायक, प्रशाखा (अतिरिक्त 10 प्रतियों में), ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के विशेष सचिव